



राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक स.3(3)(02)स्था/मंत्रा/अभि/2020/ 2022-28 दिनांक:- 22/06/2020

**-: नियुक्ति आदेश :-**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण NON-TSP अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 दिनांक 18.05.2020 से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन एतद्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	2205	श्री जोगाराम	श्री लिच्छुराम	10/Nov/1998	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., बाड़मेर
2.	18429	श्री विष्णु कुमार मीना	श्री तेजराम मीना	03/Jun/1993	O_ST	कार्यालय स.नि.अ., झालावाड़

1. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी. एससी.ओबीसी.एमबीसी./जा.प्र.प/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/ 68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3469/2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुजित छायापदों के विरुद्ध की जाकर वर्णित दिशा-निर्देशों के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.06, एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में


*Handwritten signature*

सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेंगे।

4. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में यदि वह असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
6. परीक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा-2018 में अभियोजन विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिको के समनुरूप होगी। चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. परीक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त कार्मिको पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.04 संशोधित आदेश दिनांक 30.10.17 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य प्रवर्तनीय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
12. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवम वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6 (5) वित्त/नियम/ 99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।
13. उक्त नियुक्तियों राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एवं इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
14. अभ्यर्थियों को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
15. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।



16. उक्त अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरित तथ्य पाये जाते हैं तो चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का राज्य सरकार/विभाग को अधिकार होगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते हैं तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
18. उपरोक्त अभ्यर्थियों से इनके गृह जिले के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से online जारी की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तथा विभाग द्वारा इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट उप महानिरीक्षक, पुलिस सी.आई.डी.(इन्टेलीजेन्स) राजस्थान जयपुर के माध्यम से भिजवाने हेतु सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन है।
19. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
20. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
21. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।  
इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

  
(पी.सी.बेरवाल)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन, कोटा/जोधपुर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड़/बाड़मेर को भेजकर लेख है कि, यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लेवे।
6. निजी पत्रावली/ विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान जयपुर।